

THE PRISONERS (ATTENDANCE IN COURTS) ACT, 1955

Contents

- | | |
|--|--|
| 1. Short title, extent and commencement | 6. Officer-in-charge of prison when to abstain from carrying out order |
| 2. Definitions | 7. Commissions for examination of prisoners |
| 3. Power of courts, to require appearance of prisoners to give evidence or answer a charge | 8. Certain provisions of the Code of Criminal Procedure and the Code of Civil Procedure to apply |
| 4. Power of State Government to exempt certain persons from operation of Section 3 | 9. Power to make rules |
| 5. Prisoners to be brought up | 10. Repeal |

THE PRISONERS (ATTENDANCE IN COURTS) ACT, 1955

(Act 32 of 1955)

An Act to provide for the attendance in courts of persons confined in prison for obtaining their evidence or for answering criminal charge.

Be it enacted by Parliament in the Sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Prisoners (Attendance in Courts) Act, 1955.

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. Definitions.- In this Act-

(a) "*confinement in a prison*" references to confinement in a prison by whatever form of words, include references to confinement or detention in a prison under any law providing for preventive detention.

(b) "*Prison*" includes:-

- (i) any place which has been declared by the State Government, by general or special order, to be subsidiary jail; and
- (ii) any reformatory, Borstal institution or other institution of a like nature;

(c) "*State Government*" in relation to a Union Territory, means the Administrator thereof.

1. The date so appointed is 1.1.1950, See S.R.O. 3447, dated 8.11.1955 (Pub. in Gaz. of India, dated 12.11.1955, Part-II, Sec. 3, Page 2229).

बन्दी (न्यायालय में हाजिरी) अधिनियम, 1955

विषय-सूची

- | | |
|--|---|
| 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ | 6. कारागार का भारसाधक पदाधिकारी आदेश का पालन करने से कब प्रतिविरत रहेगा |
| 2. परिभाषायें | 7. बन्दियों से पृच्छा के लिये कमीशन |
| 3. साक्ष्य देने या आरोप का उत्तर देने के लिये उपसंज्ञात होने की बंदियों से अपेक्षा करने की न्यायालयों की शक्ति | 8. दण्ड प्रक्रिया संहिता और व्यवहार प्रक्रिया संहिता के कुछ उपबन्ध लागू होंगे |
| 4. धारा ३ के प्रवर्तन से कुछ व्यक्तियों को छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति | 9. नियम बनाने की शक्ति |
| 5. बन्दियों का लाया जाना | 10. निरसन |

बन्दी (न्यायालय में हाजिरी) अधिनियम, 1955

(32 आफ 1955)

[20 सितम्बर, 1955]

कारागारों में परिरुद्ध व्यक्तियों को साक्ष्य अभिप्राप्त करने या उन पर लगे आपराधिक आरोप का उत्तर देने के लिये उनकी न्यायालय में हाजिरी के लिये उपबन्धन करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद् द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हुआ-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ- (1) इस अधिनियम का नाम बन्दी (न्यायालय में हाजिरी) अधिनियम, 1955 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत पर है।

(3) यह उस दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्रा में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषायें- इस अधिनियम में-

(क) कारागार में परिरुद्ध- कारागार में परिरुद्ध के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत, चाहे वे किन्हीं शब्दों में क्यों न किये गये हों, निवारण निरोध के लिये उपबन्धन करने वाली किसी विधि के अधीन कारागार में परिरुद्ध या निरोध के प्रति निर्देश भी है;

(ख) कारागार के अन्तर्गत-

(1) ऐसा कोई स्थान भी है, जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उप जेल घोषित किया गया है, और

(2) कोई सुधारालय, बोस्टल संस्था या सामान प्रकार की अन्य संस्था भी है;

(ग) राज्य सरकार से भाग ग राज्यों के सम्बन्ध में यथास्थिति उस राज्य का उपराज्यपाल या मुखायुक्त अभिप्रेत है।

1. The date so appointed is 1.1.1950, See S.R.O. 3447, dated 8.11.1955 (Pub. in Gaz. of India, dated 12.11.1955, Part-II, Sec. 3, Page 2229).

3. Power of courts, to require appearance of prisoners to give evidence or answer a charge.- (1) Any Civil or Criminal Court may, if it thinks that the evidence of any person confined in any prison is material in any matter pending before it, make an order in the form set forth in the First Schedule, directed to the Office-in-charge of the prison :

Provided that no civil court shall make an order under this sub-section in respect of a person confined in a prison situated outside the State in which the court is held.

(2) Any criminal court may, if a charge of an offence against a person confined in any prison is made or pending before it, make an order in the form set forth in the Second Schedule, directed to the officer in charge of the prison.

(3) No order made under this Section by a civil court which is subordinate to a District Judge shall have effect unless it is countersigned by the District Judge; and no order made under this section by a criminal court which is inferior to the court of the Magistrate of the first class have effect unless it is countersigned by the District Magistrate to whom that court is subordinate or within the local limits of whose jurisdiction that is situate.

(4) For the purposes of sub-section (3), a Court of Small Causes outside a presidency town or City of Hyderabad shall be deemed to be subordinate to District Judge within the local limits of whose jurisdiction such court is situate.

4. Power of State Government to exempt certain persons from operation of Section 3.- (1) The State Government may, having regard to the matters specified in sub-section (2), by general or special order, direct that any person or class of persons shall not be removed from the prison in which he or they may be confined, and thereupon so long as any such order remains in force, the provisions of Section 3 shall not apply to such person or class of persons.

(2) Before making an order under sub-section (1), the State Government shall have regard to the following matters, namely:-

- the nature of the offence for which or the grounds on which the confinement has been ordered in respect of the person or class of persons;
- the likelihood of the disturbance of public order if the person or class of persons if allowed to be removed from the prison.
- the public interest, generally.

5. Prisoners to be brought up.- Upon delivery of any order made under Section 3 to the officer-in-charge of the prison in which the person named therein is confined, that officer shall cause him to be taken to the court in which his attendance is required, so as to be present in the court at the time in such order mentioned, and shall cause him to be detained in custody in or near the court until he has been examined

3. साक्ष्य देने या आरोप का उत्तर देने के लिये उपसंज्ञात होने की बंदियों से अपेक्षा करने की न्यायालयों की शक्ति- (1) यदि कोई व्यवहार या दण्ड न्यायालय किसी कारागार में परिरुद्ध किसी व्यक्ति के साक्ष्य को अपने समक्ष लम्बित किसी बात के लिये सारवान समझता है तो वह उस कारागार के भारसाधक पदाधिकारी को निदिष्ट आदेश प्रथम अनुसूची में दिये हुए प्ररूप में दे सकेगा :

परन्तु कोई व्यवहार न्यायालय इस उपधारा के अधीन ऐसे व्यक्ति की बाबत आदेश नहीं देगा जो कि उस राज्य से बाहर स्थित कारागार में परिरुद्ध है जिस राज्य में न्यायालय अपनी बैठक करता है ।

(2) यदि किसी अपराध का आरोप किसी कारागार में परिरुद्ध व्यक्ति के खिलाफ किसी दंड न्यायालय में किया जाता है या लम्बित है तो वह न्यायालय के भारसाधक पदाधिकारी को निदिष्ट आदेश द्वितीय अनुसूची में दिये गये प्ररूप में दे सकेगा ।

(3) जिला न्यायाधीश के अधीनस्थ किसी व्यवहार न्यायालय द्वारा इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह उस जिला न्यायाधीश द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित न हो, और प्रथम कोर्ट मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निचले किसी दण्ड न्यायालय द्वारा इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित न हो जिसके अधीनस्थ वह न्यायालय है या जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह न्यायालय स्थित है ।

(4) प्रेसीडेंसी नगर या हैदराबाद नगर के बाहर का कोई लघुवाद न्यायालय उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिये उस जिला न्यायाधीश के अधीनस्थ समझा जायेगा जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा न्यायालय स्थित है ।

4. धारा 3 के प्रवर्तन से कुछ व्यक्तियों को छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति- (1) उपधारा (2) में उल्लिखित विषयों का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को उस कारागार से, जिसमें वह या वे परिरुद्ध हैं या हैं; हटाया नहीं जाय, और जब तक कि ऐसा कोई आदेश प्रवृत्त रहे धारा 3 के उपबन्ध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को लागू नहीं होंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश देने से पूर्व राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों का, अर्थात्-
(क) उस अपराध के स्वरूप का, जिसके लिये या उन आधारों का, जिनके लिये कि उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के सम्बन्ध में परिरोध का आदेश दिया गया है;

(ख) इस बात का कि यदि उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को कारागार से हटाया गया या हटाया जाने दिया गया तो सार्वजनिक व्यवस्था के भंग होने की सम्भाव्यता है;

(ग) सामान्यतः लोकहित का, ध्यान रखेगी ।

5. बन्दीयों का लाया जाना- भारसाधक पदाधिकारी को, धारा 3 के अधीन के परिदत्त कर दिये जाने पर उस कारागार के जिसमें कि उस आदेश में नामांकित व्यक्ति परिरुद्ध है, वह पदाधिकारी उसे उस न्यायालय को, जिसमें उसकी हाजरी अपेक्षित है, ऐसे भिजवायेगा कि वह ऐसे आदेश में वर्णित समय पर उस न्यायालय में उपस्थित हो जाये और उस न्यायालय में या उसके समीप उसे अभिरक्षा में तब तक निरुद्ध रखा जायेगा जब तक कि उससे पृच्छा नहीं कर ली जाती या तब तक कि उस न्यायालय

or until the Judge or presidency officer of the court authorises him to be taken back to the prison in which he was confined.

6. Officer-in-charge of prison when to abstain from carrying out order.- Where the person in respect of whom an order is made under Section 3:-

- (a) is, in accordance with the rules made in this behalf, declared to be unfit to be removed from the prison where he is confined by reason of sickness or other infirmity, or
- (b) is under committal for trial; or
- (c) is under remand pending trial or pending a preliminary investigation; or
- (d) is in custody for a period which would expire before the expiration or the time required for removing him under this Act and for taking him back to the prison in which he is confined;

the officer-in-charge of the prison shall abstain from carrying out the order and shall send to the court from which the order had been issued a statement of reasons for so abastaning :

Provided that such officer as aforesaid shall not so abstain where:-

- (i) the order has been made by a criminal court; and
- (ii) the person named in the order is confined under committal for trial or under remand pending trial or pending a preliminary investigation and is not declared in accordance with the rules made in this behalf to be unfit to be removed from the prison where he is confined by reason of sickness or other infirmity; and
- (iii) the place, where the evidence of the person named in the order is required, is not more than five miles distant from the prison in which he is confined.

7. Commissions for examination of prisoners.- In any of the following cases that is to say,-

- (a) Where it appears to any civil court that the evidence of a person confined in a prison is material in any matter pending before it and that the attendance of such person in court cannot be secured by reason of the provisions of Section 6 or of an order under Section 4 of the District Judge declining under sub-section (3) of Section 3 to countersign an order for removal.; or
- (b) Where it appears to any civil court as aforesaid that the evidence of a person confined in a prison which is situated outside the State in which, or is more than fifty miles distant from the place at which, such court is held is material in any such matter; the court may, if it thinks fit, issue a commission under the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908¹, for the examination of the person in the prison in which he is confined.

1. Now see Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

का न्यायाधीश या पीठासीन पदाधिकारी उस कारागार में को, जिसमें कि वह व्यक्ति परिरुद्ध था, उसका वापस ले जाया जाना प्राधिकृत नहीं करता।

6. कारागार का भारसाधक पदाधिकारी आदेश का पालन करने से कब प्रतिविरत रहेगा— जहां कि वह व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन आदेश दिया गया है—

- (क) इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार उस कारागार से, जिसमें कि वह परिरुद्ध है, बीमारी या अन्य दौर्बल्य के कारण हटाये जाने के आयोग्य घोषित किया गया है,
- (ख) परीक्षण के लिये सुपुर्दगी में है; या
- (ग) परीक्षण के लम्बित रहने तक या प्रारम्भिक अनुसन्धान के लम्बित रहने तक प्रतिप्रेषणाधीन है, या
- (घ) ऐसी समयावधि के लिये अभिरक्षा में है जो इस अधिनियम के अधीन उसे हटाने के लिये और जिस कारागार में वह परिरुद्ध है उसमें उसे वापस ले जाने के लिये अपेक्षित समय की समाप्ति से पूर्व समाप्त हो जायेगी,

वहां उस कारागार का भारसाधक पदाधिकारी उस आदेश का पालन करने से प्रतिविरत रहेगा और जिस न्यायालय ने वह आदेश निकाला था उसे इस प्रकार प्रतिविरत रहने के कारणों का कथन भेजेगा:

परन्तु जहां—

(1) वह आदेश दण्ड न्यायालय ने दिया है; और

(2) आदेश में नामांकित व्यक्ति परीक्षण के लिये सुपुर्दगी में या परीक्षण के लम्बित रहने तक या प्रारम्भिक अनुसन्धान के लम्बित रहने तक प्रतिप्रेषणादेश के अधीन अभिरक्षा में है और इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार उस कारागार से, जिसमें वह परिरुद्ध है, बीमारी या अन्य दौर्बल्य के कारण हटाये जाने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है; और

(3) वह स्थान, जहां उस आदेश में नामांकित व्यक्ति का साक्ष्य अपेक्षित है, उस कारागार से जिसमें वह परिरुद्ध है, पांच मील से अधिक दूर नहीं है;

वहां ऐसा उपरोक्त पदाधिकारी इस प्रकार प्रतिविरत नहीं रहेगा।

7. बन्दियों से पृच्छा के लिये कमीशन— निम्नलिखित मामलों में से, अर्थात्—

- (क) जहां कि किसी व्यवहार न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि कारागार में परिरुद्ध व्यक्ति का साक्ष्य अपने समक्ष लम्बित किसी विषय में सारवान है और धारा 3 के उपबन्धों के कारण या धारा 4 के अधीन किसी आदेश के कारण या हटाये जाने के आदेश को जिला न्यायाधीश द्वारा धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिहस्ताक्षरित करने से इन्कार करने के कारण ऐसे व्यक्ति की हाजिरी न्यायालय में नहीं करायी जा सकती, या
- (ख) जहां कि उपरोक्त जैसे किसी व्यवहार न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसे कारागार में, जो उस राज्य से बाहर स्थित है जिसमें या उस स्थान से पचास मील से अधिक दूर है जिसमें ऐसे न्यायालय की बैठक होती है, परिरुद्ध व्यक्ति का साक्ष्य किसी ऐसे विषय में सारवान है,

1. कृपया अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 आफ 1974) के प्रावधान देखें।

8. Certain provisions of the Code of Criminal Procedure and the Code of Civil Procedure to apply.— Save as otherwise provided in this Act and any rules made thereunder, the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908, and the Code of Criminal Procedure, 1898¹ as the case may be, shall, so far as may be, apply in relation to the examination on commission or otherwise of any person confined in a prison as they apply in relation to the examination on commission of any other person.

9. Power to make rules.— (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—

- The procedure for obtaining the countersignature of an order made under Section 3;
- the authority by whom and the manner in which a declaration that a person confined in prison is unfit to be removed therefrom, may be made;
- the conditions, including payment of costs and charges, subject to which an order made under Section 3 by a Civil Court may be executed;
- the manner in which a process directed against any person confined in a prison issued from any court may be served upon him;
- the escort of persons confined in a prison to and from Courts in which their attendance is required and for their custody during the period of such attendance;
- the amount to be allowed for the costs and charges of such escort; and
- the guidance of officers in all other matters accounted with the enforcement of this Act.

10. Repeal.— (1) Part IX of the Prisoners Act, 1900 and the First and Second Schedules to the said Act are hereby repealed.

(2) If immediately before the commencement of this Act, there is in force in any Part-B State to which this Act extends any law corresponding to the provisions of this Act, that law shall, in so far as it relates to matter dealt with in this Act, stand repealed on such commencement :

Provided that anything done or any action taken under any such law shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act and shall continue to have effect accordingly, unless and until superseded by anything done or any action taken under this Act.

1. Now see Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

वहां यदि न्यायालय ठीक समझे, तो वह उस व्यक्ति से उस कारागार में, जिसमें वह परिरुद्ध है, पृच्छा करने के लिये व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (5 आफ 1908) के उपबन्धों के अधीन कमीशन निकाल सकेगा।

8. दण्ड प्रक्रिया संहिता और व्यवहार प्रक्रिया संहिता के कुछ उपबन्ध लागू होंगे— इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये किन्हीं नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर, यथास्थिति व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (5 आफ 1908) और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898¹ (5 आफ 1998) के उपबन्ध कारागार में परिरुद्ध किसी व्यक्ति से कमीशन के जरिये या अन्यथा पृच्छा करने के सम्बन्ध में यावत्साध्य ऐसे लागू होंगे जैसे कि वे अन्य व्यक्ति से कमीशन के जरिये पृच्छा करने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

9. नियम बनाने की शक्ति— (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये नियम राजकीय राजपत्रा में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

- विशेषतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम—
 - धारा 3 के अधीन दिये गये आदेश पर प्रतिहस्ताक्षर अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया के लिये,
 - यह घोषणा, कि कारागार में परिरुद्ध कोई व्यक्ति वहां से हटाये जाने के अयोग्य है, जिस प्राधिकारी द्वारा और जिस रीति में की जा सकेगी उसके लिये,
 - सिविल न्यायालय द्वारा धारा 3 के अधीन दिया गया कोई आदेश खर्चों और प्रभारों की देनगी की बाबत जिन शर्तों के अधीन रहते हुए, निष्पादित किया जा सकेगा उनके लिये,
 - कारागार में परिरुद्ध किसी व्यक्ति के खिलाफ निर्दिष्ट और किसी न्यायालय द्वारा निकाली गयी आदेशिका की तामील उस व्यक्ति पर जिस रीति में की जा सकेगी उसके लिये,
 - कारागार में परिरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी जिन न्यायालयों में अपेक्षित है उन्हें उनमें ले जाने और वहां से वापस लाने के लिये और अनुरक्षकों के लिये ऐसी हाजिरी की समयावधि के दौरान में ऐसे व्यक्तियों की अभिरक्षा के लिये,
 - ऐसे अनुरक्षकों के खर्चों और प्रभारों की बाबत समनुज्ञात की जाने वाली राशि के लिये और
 - इस अधिनियम के प्रवर्तन से सशक्त एवं अन्य विषयों में पदाधिकारियों के पथ-प्रदर्शन के लिये, उपलब्ध कर सकेंगे।

10. निरसन— (1) बन्दी अधिनियम, 1900 का भाग 9 और उक्त अधिनियम की प्रथम और द्वितीय अनुसूची इसके द्वारा निरसित की जाती है।

(2) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले किसी भी भाग ख राज्य में, जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है, इस अधिनियम के उपबन्धों के समरूप कोई विधि प्रवृत्त है तो वह विधि, जहां तक उसका संबंध इस अधिनियम के अन्तर्गत आने-वाले मामलों से है, ऐसे प्रारम्भ पर निरसित हो जायेगी।

परन्तु ऐसी किसी विधि के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के समरूपी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी और तदनुसार तब तक प्रभावी बनी रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई से अतिष्ठित नहीं हो जाती।

1. कृपया अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 आफ 1974) के प्रावधान देखें।